रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 1990/कार्तिक 22, 1912
No. 277] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 1990/KARTIKA 22, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1990

सं. एफ 10(1)/88-वि. स. स्की. का. स.—केन्द्रीय सरकार, तारीख 18 मई, 1990 के समसंख्यक सरकारी संकल्प के क्रम में संकल्प करती है कि विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की अवधि, 14 नवम्बर, 1990 से एक वर्ष की और अवधि के लिए या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाती है ।

2. केन्द्रीय सरकार, यह भी संकल्प करती है कि भारत सरकार के संकल्प सं. एफ. 10(1)/88-वि. स.स्की. का. स. तारीख 24 मई, 1989 और 19 अक्तूबर, 1990 के साथ पठित संकल्प सं. एफ. 6(15)/86-आई. सी. तारीख 14 मई, 1987 द्वारा पुनर्गठित की गई विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का तारीख 14-11-1990 से निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षण किया जाएगा :—

1. न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के प्रमुख संरक्षक होंगे जिनकी पूर्ण सलाहकार हैसियत होगी ।

2. न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश—कार्यपालक अध्यक्ष ।

3. न्यायमूर्ति श्री के. सी. अग्रवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति—सदस्य ।

4. न्यायमूर्ति श्री वी. रत्नम, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश—सदस्य ।

3038 GI/90

5. न्यायमूर्ति श्री आर. सी. पटनायक, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश—सदस्य ।

6. सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य ।

7. सचिव, व्यय विभाग—सदस्य ।

8. विशेष सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य-सचिव ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

चि. प्रभाकर राव, विशेष सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th November, 1990

No. F. 10(1)|88-CILAS.—The Central Government, in continuation of the Government Resolution of even number dated 18th May, 1990, hereby resolves that the term of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes shall be extended for a period of one year on and from the 14th day of November, 1990 or till the National Legal Services Authority under the Legal Services Authorities Act is constituted, whichever is earlier.

2. The Central Government also resolves that the composition of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes, as re-constituted by the Government of India, vide its Resolution No. F. 6(15)|86-IC dated 14th May, 1987 read with its Resolution No. F. 10(1)|88-CILAS dated 24th May, 1989 and 29th October, 1990 shall be revised with the following Members with effect from 14-11-1990 :—

(1) Shri Justice Ranganath Misra, Chief Justice of India as Patron-in-Chief of Committee for Implementing Legal Aid Schemes with full advisory capacity.

(2) Shri Justice A. M. Ahmadi, Judge of the Supreme Court—Executive Chairman.

(3) Shri Justice K. C. Agarwal, Chief Justice of the Rajasthan High Court—Member.

(4) Shri Justice V. Ratnam, Judge of the Madras High Court—Member.

(5) Shri Justice R. C. Patnaik, Judge of the Orissa High Court—Member.

(6) Secretary, Department of Legal Affairs—Member.

(7) Secretary, Department of Expenditure—Member.

(8) Special Secretary, Department of Legal Affairs—Member Secretary.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

CH. PRABHAKARA RAO, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990